

## समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शास्त्रा)

जिला संयुक्त आदेश

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पट्टना के पत्रांक BSEB (SS)/2PN/6186/D-17 दिनांक 08-03-2017 के आलोक में इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मधेपुरा जिला में टी०पी०कॉलेज, मधेपुरा को मूल्यांकन केब्ड निर्धारित किया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की सैख्बानिक परीक्षा की कला /विज्ञान /वाणिज्य /व्यावसायिक की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य दिनांक 15-03-2017 से प्रारंभ होकर दिनांक 30-03-2017 तक चलने की संभावना है, किन्तु आवश्यकतानुसार यह अवधि विस्तारित भी की जा सकती है।

वर्णित स्थिति में इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 की उत्तर पुस्तिकाओं का स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त मूल्यांकन के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण /कदाचार मुक्त मूल्यांकन संचालन हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों /पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति निम्न प्रकार से की जाती है :-

क्र०	मूल्यांकन केब्ड का नाम	सशस्त्र बल	प्रतिनियुक्त स्टेटिक दण्डाधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम	मूल्यांकन केब्ड का वरीय प्रभार
1	2	3	4	5	6
1	टी०पी० कॉलेज, मधेपुरा	1-4	1- श्री सुबोध कुमार, श्रम अधीक्षक, मधेपुरा- 9122474292	1-स030नि० अखिलेश्वर राय, मधेपुरा थाना- 725004918	1-मो० मुर्शीद आलम, अपर समाहर्ता-सह-चीफ सेक्रेसी ऑफिसर, मधेपुरा-9473191354

परिचारी प्रवर, मधेपुरा उक्त मूल्यांकन केब्ड पर यथानिदेशित सशस्त्र बल /पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे एवं उन्हें निदेशित करेंगे कि मूल्यांकन की तिथि को 08:00 बजे पूर्वाहन तक निश्चित रूप से मूल्यांकन केब्ड पर पहुँचकर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे मूल्यांकन की तिथि को 08:00 बजे पूर्वाहन निश्चित रूप से पहुँचकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

इंटरमीडिएट परीक्षा, 2017 की व्यवहृत एवं बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पट्टना के पत्रांक BSEB

(SS)/2PN/6186/D-17 दिनांक 08-03-2017 द्वारा दिये गये निम्नवत् निदेश का अक्षराशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

1-परीक्षा की तरह उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन के कार्य को भी पूर्ण स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में गुणवतापूर्ण ढंग से सम्पादित कराना अपेक्षित है।

2-उत्तरपुस्तिका के मूल्यांकन का कार्य जिला शिक्षा पदाधिकारी के नियंत्रण एवं अनुश्रवण में होगा।

3-मूल्यांकन केन्द्र में पूर्वाहन 09:30 बजे तक मूल्यांकन कार्य में संलग्न सभी कर्मियों का प्रवेश अपेक्षित है। उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य पूर्वाहन 10:00 बजे से प्रारंभ होगा, जो अपराहन 05:00 बजे तक अथवा उसके बाद के अवधि तक (आवश्यकतानुसार) चलेगा। प्रवेश के बाद मूल्यांकन अवधि में मूल्यांकन कार्य में संलग्न प्रधान परीक्षक /परीक्षक आदि को मूल्यांकन केन्द्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उनके चाय-पानी की व्यवस्था मूल्यांकन केन्द्र के भीतर ही रहेगी, जिसे जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा सुनिश्चित करायेंगे।

4-उक्त कार्य हेतु मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकन अवधि के लिए प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस बल किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश मूल्यांकन केन्द्र एवं उसके परिसर में नहीं होने देंगे। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश दण्डनीय होगा। मूल्यांकन केन्द्र के 200 गज के परिधि में मूल्यांकन कार्य में संलग्न कर्मियों को छोड़कर शेष व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित करने हेतु धारा-144 लागू करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा जारी करेंगे।

5-प्रधान परीक्षक एवं परीक्षक उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन में पूर्ण सजगता बरतते हुए पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करायेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता व निष्क्रियता वांछनीय नहीं होगी। यदि कोई प्रधान परीक्षक /परीक्षक या अन्य कोई कर्मी मूल्यांकन केन्द्र के इंधर-उधर अनावश्यक गलत रूप से घूमते या अनधिकृत रूप से बात-चीत करते हुए पाये जायेंगे, तो उन्हें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा।

6-मूल्यांकन से संबंधित कदाचार में लिप्त पाये जाने पर संबंधित कर्मी के विरुद्ध आबुशासनिक व कानूनी, दोनों कार्रवाई की जाएगी। ऐसा होने पर उनके विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 तथा भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

7-मूल्यांकन केन्द्र के बाहर, बरामदे में, मूल्यांकन कक्ष एवं बज्रगृह (जहाँ उत्तरपुस्तिकार्ये रखी जायेंगी) में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाय, जिसके लिए आवश्यक राशि समिति द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि मूल्यांकन कक्ष में सी०सी०टी०वी० कैमरे इस प्रकार से लगाये जायें कि उनमें मूल्यांकन कार्य में संलग्न प्रधान परीक्षक /परीक्षक आदि व्यक्तियों की गतिविधियाँ तो कैमरे की नजर में रहे, किन्तु उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान परीक्षकों द्वारा प्रश्नोत्तर पर दिये जा रहे अंक तथा उत्तरपुस्तिकाओं पर चर्चा किये हुए बारकोड स्टीकर्स का क्लोज अप चित्र कैमरे में कैद रही हो।

8- मूल्यांकन केन्द्र के बाहर एवं जिन कमरों में मूल्यांकन कार्य सम्पादित होगा तथा उत्तर पुस्तिका आवंटन से संबंधित बज़गृह में सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित करने तथा कैमरे का प्रसारण स्थल हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में प्राचार्य, टी०पी० कॉलेज, मधेपुरा के वेश्म में सी०सी०टी०वी० कैमरा प्रसारण स्थल चिह्नित किया जाता है, जिसकी निगरानी हेतु श्री सुबोध कुमार, श्रम अधीक्षक, मधेपुरा की प्रतिनियुक्ति प्रभारी दण्डाधिकारी के रूप में की जाती है। जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे मूल्यांकन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व मूल्यांकन केन्द्र पर सी०सी०टी०वी० कैमरा अधिष्ठापित कराना सुनिश्चित करेंगे।

9-मूल्यांकन केन्द्रों पर कार्य करने वाले /प्रतिनियुक्त कर्मचारी एवं पदाधिकारी में मात्र मूल्यांकन केन्द्र निदेशक एवं स्टैटिक दण्डाधिकारी को ऑफिसियल कार्य के लिए मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति होगी। शेष सभी लोग /प्रधान परीक्षक तथा परीक्षक मोबाइल फोन, किसी तरह का कागज-पूर्जा अपने साथ मूल्यांकन केन्द्र पर नहीं लायेंगे। वे अपने परिचय पत्र के साथ प्रवेश करेंगे एवं कलम तथा परिचय पत्र के अतिरिक्त कोई भी सामग्री मूल्यांकन केन्द्र पर नहीं लायेंगे। यदि कोई अन्य सामग्री उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान उनके पास से पायी जायेगी, तो वे नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

10-मूल्यांकन का कार्य केन्द्रवार एवं व्यवहृत उत्तरपुस्तिकाओं पर चर्चा किये गये बारकोड स्टिकर्स पर अंकित संख्या के बढ़ते क्रम में लगातार किया जायेगा। मूल्यांकन करने के पश्चात् परीक्षक द्वारा व्यवहृत उत्तरपुस्तिका पर प्रदत अंक की प्रविष्टि ३००एम०आर० अवार्ड-शीट (मार्क्स फ्लायल) में सावधानीपूर्वक उत्तर पुस्तिका के बारकोड स्टिकर्स पर अंकित क्रम संख्या के अनुसार अवार्ड-शीट में अंकित बारकोड स्टिकर्स की संख्या के सामने किया जायेगा।

11-मूल्यांकन के पूर्व सभी परीक्षकों, प्रधान परीक्षकों एवं सभी संबंधितों को मूल्यांकन से संबंधित सभी नियमों की जानकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से उपलब्ध करायेंगे और उन्हें स्पष्ट रूप से निदेश देंगे कि निष्पक्ष भाव से मूल्यांकन करना उनका दायित्व है और इस कार्य में उन्हें अनिवार्य रूप से सहयोग करेंगे। मूल्यांकन कार्य की पवित्रता को बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तर से जाँच करायी जायेगी, जिसमें वे जाँच दल /पदाधिकारियों को अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

12- मूल्यांकन केन्द्र की व्यवस्था एवं मूल्यांकन कार्य का सतत निरीक्षण करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं श्री मुकेश कुमार, वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा संयुक्त रूप से प्रतिनियुक्त किया जाता है।

13-सभी परीक्षक ध्यानपूर्वक सावधानी के साथ बारकोडेड उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे ताकि परीक्षार्थियों को उनकी योग्यता के अनुरूप सही अंक प्राप्त हो।

14-मधेपुरा जिलान्तर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के प्रधान को इस आशय का निदेश देने की व्यवस्था करेंगे ताकि विद्यालय /महाविद्यालयवार एवं विषयवार परीक्षकता हेतु नियुक्त प्रधान परीक्षकों /परीक्षकों को संबंधित मूल्यांकन केन्द्रों पर

